

कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन,
सतपुड़ा भवन, भोपाल-462004

332
कमांक /आउशि/नि.का/09
प्रति,

भोपाल, दिनांक 29/06/09

- 1- अतिरिक्त संचालक समस्त,
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश।
- 2- प्राचार्य समस्त,
शासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।

विषय:-प्राचार्यों के द्वारा बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने के संबंध में।

-:0:-

कतिपय प्रकरणों में यह सामने आया है कि महाविद्यालयों के प्राचार्य स्वेच्छा से किसी भी अधीनस्थ को चार्ज देकर बिना आयुक्त की अनुमति के मुख्यालय से बाहर प्रस्थान कर जाते हैं यह स्थायी निर्देशों का उल्लंघन है।

वर्तमान में परीक्षा फल जारी करने, विद्यार्थियों के प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने एवं अतिथि विद्वानों को आमंत्रित करने के लिए सूची अंतिम करने का कार्य जारी है तथा आगामी सप्ताह से विभाग-सभा सत्र भी प्रारंभ होने जा रहा है। अतः ऐसी परिस्थिति में यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि बिना आयुक्त की लिखित अनुमति के कोई भी प्राचार्य अपना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे, आकस्मिक परिस्थिति में आयुक्त तथा स्थानीय अतिरिक्त संचालक को फैंक्स भेजकर फैंक्स से अनुमति प्राप्त होने के पश्चात ही मुख्यालय से बाहर भ्रमण/अवकाश पर प्रस्थान करेंगे।

कृपया इन नियमों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें ताकि आपके आदर्श से आपके महाविद्यालय में अनुशासन स्थापित किया जा सके।

Ashwin
29.6.2009
(आशीष उपाध्याय)
आयुक्त

उच्च शिक्षा विभाग,
भोपाल, दिनांक 29/06/09

333
पृ. कमांक /आउशि/नि.का/09
प्रतिलिपि:-

- 1- निज सहायक, मा10 मंत्री, उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभाग।
- 2- निज सहायक, मा10 प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन।

Ashwin
29.6.2009
आयुक्त
उच्च शिक्षा विभाग,